पत्रांक–17 / प्रो0–07–02 / 2015, सा०प्र०........................... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिजय कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कृषि विभाग

पटना–15, दिनांक–..........................

विषयः– सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1551 / 2017 विजय कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–6384 दिनांक 17.05.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1551 / 2017 विजय कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता सर्वश्री कला नन्द सिंह, सहायक (व0क्र0–2418) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं विजय कुमार, सहायक (व0क्र0–2069) कृषि विभाग को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने हेतु विभागीय आरोप एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सहायकों के संबंध में वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश पर ससमय निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17 / प्रो0–07–02 / 2015, सा०प्र० 6982 / पटना–15 दिनांक– 29.5.18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Srivastava
29.05.18
सरकार के अवर सचिव।

D:/Anish Document/ Anumodan/Anumodan hetu pranup3.docx [765]